बेरोजगारी के आकलन के लिए जेपीसी गठन की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में सदस्यों ने बेरोजगारी को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन के प्रस्ताव का समर्थन किया। माकपा सदस्य बिनॉय बिस्वम ने प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार से देश में बेरोजगारी की स्थिति के आकलन तथा समग्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेपीसी के गठन का अनुरोध किया था। बेरोजगारी की मौजूदा स्थिति का सही आकलन किए जाने की जरूरत बताते हुए बिस्वम ने कहा कि सरकारी आंकड़े केवल 6.1 फीसद बेरोजगारी का दावा करते हैं। दूसरी तरफ थिंक टैंक सीएमआइइ के अनुसार, देश में 13.2 फीसद लोग बेरोजगार हैं। इसे देखते हुए सरकार को पढ़े-लिखे नागरिकों के बीच बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति पर एक समग्र रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।

प्रस्ताव में सरकार को सुझाव दिया गया है कि उसे इस मसले का संपूर्ण अध्ययन एवं विवेचना करने तथा रोजगार गारंटी अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने अधिनियम का नाम शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखे जाने की इच्छा जताई।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस सदस्य कुमार केतकर ने कहा कि इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी कभी भी फूटने वाला बम है। बेरोजगारी का मुद्दा अर्थव्यवस्था का मसला नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास और संस्कृति से जुड़ा मसला है। उन्होंने सदन का ध्यान 1930-1950 के उस दौर की ओर दिलाया जिसका फिल्मांकन 'गॉडफादर' फिल्म में किया गया है। तब अपराध जगत के लोग बेरोजगार युवाओं को प्रलोभन देकर अपने गैंग में शामिल करते थे।

उन्होंने सूखे के दौर में महाराष्ट्र में चलाई गई रोजगार गारंटी स्कीम का जिक्र भी किया, जिसे बाद में संप्रग सरकार ने पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के रूप में लागू किया। उन्होंने बेरोजगारों को उत्पादक कार्यों में लगाने की जरूरत बताई।भाजपा सदस्य सत्यनारायण जटिया ने कहा, 'हमारे पास सीमित संसाधन हैं। चूंकि मांग करना आसान है। इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण लग रहा है।'

लीज के जरिये भी कम कीमत पर पूरी होंगी सेना की जरूरतें

अहम बदलाव ▶ सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया में एक नई श्रेणी जोड़ी

'मेक इन इंडिया' की पहल को बढ़ावा देने के लिए भी किए गए कई उपाय

राजनाथ सिंह फाइल फोटो

वैश्विक मंदी का भारतीय रक्षा खरीद पर असर नहीं : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक मंदी का दुनिया के हर देश पर तो असर पड़ा है, लेकिन देश के रक्षा खरीद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दो से पांच महीने के भीतर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है।

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत अब अपनी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी मित्र देश से युद्धपोत से लेकर परिवहन विमानों को कम कीमत पर लीज पर हासिल कर सकेगा। सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें मौजूदा 'खरीद एवं निर्माण' श्रेणी के अतिरिक्त रक्षा खरीद के लिए लीज श्रेणी का प्रावधान किया गया है।

सरकार की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि 'मेक इन इंडिया' की पहल को समर्थन करने के लिए विभिन्न खरीद श्रेणियों में निर्धारित स्वदेशी सामग्रियों को बढ़ाया गया है। भारतीय उद्योग की व्यापक भागीदारी और मजबूत रक्षा औद्योगिक ढांचे के विकास को सुगम बनाने के लिए डीपीपी 2020 में स्वदेशी कच्चे माल, विशेष मिश्रित धातु व सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है।

इसके अलावा, इस मसौदे में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक और पांच साल से ज्यादा अवधि में सप्लाई किए जाने वाले ठेके में 'मूल्य भिन्नता खंड' को जोड़ा गया है।

लीजिंग को समय-समय पर किराया भुगतान के लिए बड़ी प्रारंभिक पूंजी व्यय के विकल्प के तौर मौजूदा 'खरीद एवं निर्माण' श्रेणी के अतिरिक्त एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया गया है। स्वदेशी और विदेशी दो श्रेणियों में लीजिंग की अनुमति दी गई है। स्वदेशी श्रेणी में लीज देने वाले कंपनी का मालिक भारतीय होना चाहिए। मसौदे को 17 अप्रैल तक सार्वजनिक चर्चा और सलाह-मशविरे के लिए रखा गया है और उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आखिरी बार डीपीपी में 2016 में बदलाव किया गया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने मौजूदा डीपीपी-2016 में बदलाव के लिए अगस्त, 2019 में एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया था। डीपीपी के नए मसौदे में रक्षा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

सीआइएसएफ के 1,018 नए पदों को गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआइएसएफ की क्षमता में इजाफा करते हुए 1,000 से ज्यादा नए पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी है। सीआइएसएफ के पास फिलहाल हवाईअड्डे, परमाणु केंद्र, महत्वपूर्ण सरकारी भवन व मेट्रो नेटवर्क आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसके विशेष सुरक्षा समूह (एसएसजी) के कमांडो वीवीआइपी की भी सुरक्षा करते हैं।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया, गृह मंत्रालय ने पहले 899 और बाद में 119 पदों के सृजन का अनुमोदन किया है। कांस्टेबल (सिपाही) से लेकर निरीक्षक (दरोगा) स्तर तक के लिए सृजित इन पदों के आधार पर अगले दो वर्षों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की एक और बटालियन (1,000 जवान) का गठन हो सकेगा। फिलहाल सीआइएसएफ की क्षमता 1.8 लाख जवानों की है। सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वह देश के नागरिक हवाईअड्डों के साथ-साथ गणमान्य नागरिकों (वीवीआइपी) की सुरक्षा में सीआइएसएफ की जिम्मेदारी में इजाफा करने जा रही है। उसकी क्षमता वृद्धि इसी क्रम में की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) फिलहाल देश के 60 हवाईअड्डों की सुरक्षा करता है। बल के जवान हर समय मुस्तैद रहते हैं।

राफेल पर भी पड़ सकता है कोरोना संकट का साया

- विमानों की पहली खेप तो मई में आएगी लेकिन बाद में हो सकता है विलंब
- वायुसेना को उम्मीद, भारत में राफेल की आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा कोई असर

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना वायरस का असर भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमानों पर भी पड़ सकता है। फ्रांस सरकार के निर्देश पर राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने 31 मार्च तक अपना कामकाज बंद कर दिया है। फ्रांस भी कोरोना वायरस से उपजी महामारी से ग्रस्त देश है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। प्रकोप और गंभीर रूप न ले, इसके लिए सरकार बचाव में कई तरह के कदम उठा रही है।

भारतीय वायुसेना ने डसाल्ट एविएशन में काम रुकने का भारत में राफेल की आपूर्ति पर कोई असर न पड़ने की संभावना जताई है। लड़ाकू विमानों की पहली खेप इसी साल मई में आनी है। लेकिन डसाल्ट में कामबंदी अगर आगे बढ़ी तो जाहिर तौर पर भारत को भविष्य में होने वाली आपूर्ति प्रभावित होगी। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भारतीय वायुसेना के जिन कर्मियों को फ्रांस के छह स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह जारी है या उसमें भी कुछ व्यवधान पड़ गया है। वायुसेना सूत्रों के अनुसार कंपनी पांच लड़ाकू विमान भारत को सौंप चुकी है, इन्हीं से फ्रांस में भारतीय वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मई में इन्हीं विमानों को भारत लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद का 2016 में समझौता हुआ था। इसी के तहत मई से आपूर्ति शुरू होनी है। इस सौदे में भारत को बिना निशाना साधे ही हवा से हवा में मार करने वाली घातक मेटेअर मिसाइल और लंबी दूरी की स्काल्प गाइडेड मिसाइल भी मिलेंगी। स्काल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। दोनों मिसाइलें राफेल विमान में फिट होंगी। इन दोनों मिसाइलों फिट होने से राफेल विमान की मारक क्षमता बढ़ जाती है।

पांच आइआइआइटी को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा

- आइआइआइटी (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित
- इन संस्थानों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री देने का मिलेगा अधिकार

नई दिल्ली, एएनआइ : लोकसभा ने शुक्रवार को आइआइआइटी (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। संशोधन विधेयक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचुर में बनने वाले पांच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आइआइआइटी) और 15 मौजूदा आइआइआइटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आइएनआइ) का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है।

सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि पहली बार केंद्र, राज्य और उद्योग की प्रतिभागिता से छात्रों को प्रशिक्षित करने का खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है। कुछ संस्थानों में 100 फीसद प्लेसमेंट के साथ सभी आइआइआइटी में औसतन 70 फीसद प्लेसमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

2015 में दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भारत के पांच संस्थान थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई है। अब संस्थान टॉप 100 और टॉप 50 में भी स्थान बना रहे हैं और शोध का कार्य बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि इनका पाठ्यक्रम उद्योग जगत से परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है। इस विधेयक में पीपीपी मोड पर तैयार मौजूदा 15 आइआइआइटी और पांच बाकी आइआइआइटी को डिग्री प्रदान करने का अधिकार देते हुए आइएनआइ का दर्जा देने का प्रावधान है। इन सभी आइआइआइटी को अन्य यूनिवर्सिटी की तरह ही बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री देने का अधिकार होगा। इस विधेयक के तहत 2014 व 2017 के प्रिंसिपल एक्ट में संशोधन करने तथा पांचों संस्थानों को वैधानिक दर्जा दिए जाने का भी प्रावधान है। अभी ये संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी की तरह काम कर रहे हैं।

अब इन पांचों आइआइआइटी को आइआइआइटी (पीपीपी) एक्ट, 2017 में शामिल कर लिया जाएगा। पीपीपी मोड में बने 15 अन्य आइआइआइटी को पहले ही इस कानून के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। पीपीपी मोड के तहत 20 आइआइआइटी के गठन के प्रस्ताव को नवंबर, 2010 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी।

राहुल पर टिप्पणी से झारखंड विस में हंगामा, हाथापाई की नौबत

राज्य ब्यूरो, रांची

- कांग्रेस व झामुमो विधायकों ने सीपी सिंह की बर्खास्तगी की मांग की
- इरफान अंसारी की टिप्पणी पर भाजपा विधायक हुए नाराज

झारखंड विधानसभा में सत्ता-पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक को लेकर हंगामा व नारेबाजी तो आम है, लेकिन शुक्रवार को सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष के विधायक जहां सीपी सिंह द्वारा राहुल गांधी को आपत्तिजनक रूप से संबोधित करने पर भड़क उठे, वहीं, भाजपा विधायकों ने इरफान अंसारी की भानुप्रताप शाही के बारे में की गई एक टिप्पणी को आधार बना हंगामा काटा। हालांकि, वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप से सदन में मारपीट जैसी घटना नहीं हुई। हंगामे का परिणाम यह रहा कि पहली पाली में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।

पहली लाइन पर ही हो गया हंगामा : भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ने चर्चा के दौरान सूचना के तहत अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। सीपी सिंह ने कहा कि 16 मार्च को राहुल गांधी उर्फ ....। इतना कहते ही कांग्रेस विधायक अपने स्थान पर खड़े हो गए और हंगामा करते हुए वेल में आ गए। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने भी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस विधायक सीपी सिंह से माफी मांगने की मांग करने लगे। कांग्रेस विधायकों का हंगामा देख भाजपा विधायकों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया।

दोनों पक्ष के विधायकों ने समेटी बांहें : इस बीच वेल से अपनी सीट पर जाने के क्रम में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कुछ ऐसा कहा कि भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही उखड़ गए। भाजपा विधायकों का आरोप था कि इरफान अंसारी ने गाली दी है। इसे लेकर भाजपा विधायक वेल में उतर आए, इधर कांग्रेस विधायक भी वेल में आ गए और माहौल अचानक गर्म हो उठा।

संसद से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पारित

नई दिल्ली, एएनआइ : संसद ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा से लौटाए गए विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर को इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा ने 16 मार्च को कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित किया। लोकसभा ने शुक्रवार को राज्यसभा के उन संशोधनों पर मुहर लगा दी। विधेयक में तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों संस्कृत-राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करने की मांग की गई है।

उधर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद रहने तक मिड डे मील या खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराने की सलाह दी है। राज्यों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने कहा है, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों के बंद रहने तक तैयार मिड डे मील या खाद्य सुरक्षा भत्ता, दोनों में से जो भी संभव हो मुहैया कराने की सलाह दी जा रही है।'

साढ़े नौ एकड़ में बनेगी संसद की नई इमारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सेंट्रल विस्टा के सीएलयू के मसौदे पर केंद्र सरकार की मुहर
- संसद भवन से लेकर कॉमन केंद्रीय सचिवालय के प्रस्ताव मंजूर

संसद की प्रस्तावित नई इमारत और कॉमन केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक भूमि संबंधी मंजूरी शुक्रवार को मिल गई। संसद भवन की नई इमारत के लिए साढ़े नौ एकड़ भूमि की जरूरत है जिसको चिन्हित करते हुए भूमि संबंधी बदलावों (सीएलयू) के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा की प्रस्तावित परियोजनाएं तेजी से चालू हो जाएंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सीएलयू के लिए भेजे गए प्रस्ताव में मौजूदा हरित क्षेत्र को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल विस्टा की प्रमुख इमारतें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नार्थ व साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स का निर्माण 1931 से पहले का है। केंद्रीय सचिवालय के लिए विभिन्न मंत्रालयों की इमारतों का निर्माण जरूरत के हिसाब से खाली भूखंडों पर बेतरतीब तरीके से किया गया है। संसद भवन की इमारत 1927 में बनी है जिसे अब हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया जाएगा। मौजूदा भवन में जगह कम होने की वजह से संसदीय जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं।

केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के विभाग अलग-अलग जगहों पर हैं, जहां अंतर विभागीय कार्यों के लिए दौड़ना पड़ता है। बेतरतीब इमारतों व निर्माण के चलते सेंट्रल विस्टा का स्वरूप बिगड़ गया है। प्रस्तावित कॉमन सेंट्रल सचिवालय की इमारतें एक साथ बनाई जाएंगी जो सभी आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होंगी। इससे कर्मचारियों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। राजपथ की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हरित पट्टी और पानी की कृत्रिम नहरों को और सुंदर बनाया जाएगा।

संसद की नई इमारत मौजूदा संसद भवन के सामने की साढ़े नौ एकड़ भूमि में बनेगी। इसकी चौहद्दी के उत्तरी छोर पर रेडक्रास रोड, दक्षिण में रायसीना रोड और पश्चिम में संसद भवन होगा। दूसरा भूखंड मौजूदा शास्त्री भवन का है जहां 5.88 एकड़ में कार्यालय बनेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की 22.82 एकड़ की जमीन पर नया सरकारी भवन निर्मित होगा।

राणा कपूर को विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

- इससे पहले ईडी की हिरासत में थे यस बैंक के सह संस्थापक कपूर
- उनके वकील ने जेल में कोरोना के संक्रमण का अंदेशा जताया

मुंबई, एजेंसियां : प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को दो अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले विशेष अदालत ने 16 मार्च को पांच दिनों के लिए कपूर को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा था।

कपूर को पांच दिन की हिरासत खत्म होने पर विशेष अदालत में पेश किया गया। यस बैंक के सह संस्थापक को जांच एजेंसी ने सात मार्च को गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने मौखिक रूप से अदालत में यस बैंक और डीएचएफएल की कथित वित्तीय अनियमितताओं का विवरण दिया।

इस बीच, उनके वकील ने अदालत को बताया कि कपूर अतिसंवेदनशील व्यक्ति हैं और जेल में उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। कपूर की पूर्व हिरासत खत्म होने के बाद उनको शुक्रवार को अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें छह-सात सालों से अस्थमा है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और वे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं।

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पत्नी अनीता गोयल के साथ शुक्रवार को यस बैंक मामले में मुंबई स्थित प्रर्वतन निदेशालय के दफ्तर में पेश हुए। प्रेट्र

इसके बाद उनके वकील ने कहा कि कम प्रतिरोधक क्षमता वाला व्यक्ति होने के चलते उनको कोरोना का संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और यह काफी अनिश्चित स्थिति है। यदि उनको जेल भेजा जाता है, तो उनके लिए गंभीर मामला हो सकता है। उनके वकील ने कपूर को एक बड़े सेल में रखने का अनुरोध किया।

भाजपा सदस्य की टिप्पणी के कारण रास की कार्यवाही स्थगित

- रोजगार पर बहस के दौरान 'स्टैटिकल शाहीन बाग' कहने का विपक्षी सदस्यों ने किया पुरजोर विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : सत्ताधारी भाजपा सदस्य की एक टिप्पणी के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ा। भाजपा सदस्य ने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां 'स्टैटिकल शाहीन बाग' की तरह रोजगार पर तुलना से परे आंकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

देश में रोजगार की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां एनएसओ के लीक आंकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की बेरोजगारी दर 45 वर्षों के निम्नतम स्तर तक गिर गया है बताने के लिए वे ऐसा करते हैं। भाजपा सदस्य के मुताबिक, देश की बेरोजगारी की हालत पर वर्तमान आंकड़े और पूर्व के आंकड़े की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि विपक्षी अलाप रहे हैं क्योंकि यह उन्हें हेडलाइन में लाता है।

नरसिम्हा ने कहा, 'यह स्टैटिकल शाहीन बाग है।' उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और देश की जनता को गुमराह कर रही हैं।

जैसे ही उन्होंने स्टैटिकल शाहीन बाग कहा राजद सदस्य मनोज कुमार झा ने

जीवीएल नरसिम्हा राव फाइल फोटो

प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार शुरू हो जाने के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक टिप्पणी की। सदन में हो रहे शोर के कारण उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकी।

तुरंत ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और राजद के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। बार-बार शांत करने के प्रयास नाकाम होने के बाद आसन ने पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

स्थापना

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आज सौंपा जाएगा वैकल्पिक गर्भगृह, श्रीराम जन्मभूमि परिसर में होने वाला अनुष्ठान टला

25 को वैकल्पिक गर्भगृह में विराजेंगे रामलला

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामलला का वैकल्पिक गर्भगृह शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। 25 मार्च को तड़के इसी गर्भगृह में रामलला की स्थापना की जानी है। इस बीच शुक्रवार से इसके लिए शुरू होने वाला अनुष्ठान कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण टाल दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब यह अनुष्ठान 22 मार्च यानी रविवार से शुरू होगा। अनुष्ठान में काशी के विशेषज्ञ आचार्यों सहित 22 वैदिक आचार्य शामिल होंगे। दो दिन तक सतत अनुष्ठान के बाद रामलला को वैकल्पिक गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा।

दिया जा रहा अंतिम रूप : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वैकल्पिक गर्भगृह शुक्रवार को ही हस्तांतरित करने की मांग की थी, लेकिन यह नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि कोरोना से बचाव की मुहिम में ध्यान बंट जाने से वैकल्पिक गर्भगृह तैयार करने में कुछ शिथिलता आयी है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि वैकल्पिक गर्भगृह को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शनिवार को गर्भगृह तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हस्तगत कर दिया जाएगा।

कोरोना से बचाव के आह्वान का होगा सम्मान : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव का जो आह्वान किया है, उसका पूरा सम्मान होगा। उन्होंने कहा, समाज जब सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र और उसको संचालित करने वाली संस्थाएं मठ-मंदिर, मेले और परंपराएं भी बचेंगी। नृत्यगोपाल दास ने स्वयं सुरक्षित रहने और भीड़ से बचने का भी सुझाव दिया। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा के हवाले से जारी बयान में महंत नृत्यगोपाल दास ने कहा, संकट की इस घड़ी में शासन-प्रशासन जो भी निर्देश देगा, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है।

प्रतीकात्मक फोटो

टल सकता है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

कोरोना के संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखकर वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला को पहुंचाने के उत्सव से भीड़ को अलग रखने का प्रबंध किया जा रहा है। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व शुरू होने वाला आयोजन भी टाल दिया गया है। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम भी टलने की आशंका है।

15 अप्रैल के बाद होगा अयोध्या में भूमि पूजन

संजय कुमार, रांची : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन 15 अप्रैल के बाद होगा। तब तक झारखंड सहित सभी राज्यों की पवित्र नदियों का जल एवं तीर्थ स्थलों की मिट्टी संग्रह कर उसे राज्य के प्रांत कार्यालयों में जमा करना है, जिसे अयोध्या भेजा जाएगा। इसके बाद वहां भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। वैसे तिथि की घोषणा 4 अप्रैल को अयोध्या में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह तिथि 30 अप्रैल हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्र जारी कर नदियों का जल एवं तीर्थ स्थलों की मिट्टी संग्रह करने का कार्यक्रम 15 अप्रैल तक पूरा कर लेने को कहा है। इसमें सभी नदियों का जल 100 मिलीलीटर एवं सभी तीर्थ स्थलों की मिट्टी 100 ग्राम संग्रह करना है। विहिप ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि कोरोना से बचाव के लिए नववर्ष पर रामोत्सव में रथयात्रा/शोभायात्रा, सभा इत्यादि बड़े कार्यक्रम नहीं करें।

कह के रहेंगे माधव जोशी

... मतलब अल्पमत पॉजिटिव निकला और वे सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए!